भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 901

दिनांक 06.02.2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

बोतलबंद पेयजल

901. श्री डी॰ एम॰ कथीर आनन्दः
श्री सु॰ थिरुनवुक्करासरः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने बोतलबंद पेयजल के खतरे को रोकने और भू–जल स्तर को नीचे गिरने से रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा स्वच्छ पेयजल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़ाने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वित्तपोषित की गई परियोजनाओं की सूची क्या है और इस संबंध में संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कितना व्यय किया गया है;
(घ) भारत में स्वच्छ पेयजल की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है;
(ङ) क्या यह सच है कि स्वच्छ पेयजल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता यू॰एन॰ और डब्ल्यू॰एच॰ओ॰ द्वारा निर्धारित किए गए स्तर से अत्यधिक कम है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख) जल आपूर्ति राज्य का विषय है तथा इसे नियंत्रित करने की शक्ति संबंधित राज्य सरकारों के पास निहित है। मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) अति-दोहित क्षेत्रों में भू-जल के स्तर के आधार पर नवीन सीलबंद पेयजल इकाईयों के लिए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रदान नहीं करता है। साथ ही, सीजीडब्ल्यूए ऐसे उद्योगों को भू-जल पुनर्भरण हेतु कतिपय अनिवार्य शर्तों के साथ, अर्द्ध-जोखिम, जोखिमपूर्ण तथा सुरक्षित क्षेत्रों में भू-जल निकासी की अनुमति देता है।

(ग) राज्य, जल प्रबंधन पर आयोजना तैयार करते हैं तथा अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करते हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ जल आपूर्ति परियोजनाएं शामिल हैं। यह विभाग, राज्यों द्वारा जल आपूर्ति पर की गई व्यय संबंधी समग्र जानकारी का रख-रखाव नहीं करता है। तथापि, देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष 2024 तक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शनों (एफएचटीसी) के माध्यम से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) मात्रा में पीने योग्य जल उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने 3.60 लाख करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन की शुरूआत की है जिसमें केंद्रीय हिस्सेदारी 2.08 लाख करोड़ रुपए की है। वर्ष 2019-20 के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य-वार आवंटित तथा जारी राशि का विवरण '**अनुलग्नक**' में दिया गया है।

(घ) जैसा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सूचित किया गया है, दिनांक 04.02.2020 की स्थिति के अनुसार, 77.20% आबादी वाले 81.57% ग्रामीण परिवारों के पास न्यूनतम 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) मात्रा में पेयजल का प्रावधान किया गया है और 19.42% आबादी वाले 15.42% ग्रामीण परिवारों के पास 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) से कम पेयजल का प्रावधान किया गया है जबकि 3.38% आबादी वाले 3.01% ग्रामीण परिवारों के पास खराब गुणवत्ता वाले जल स्रोत हैं।

(ड.) और (च) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएनओ) के अनुसार, पीने, खाना बनाने, वैयक्तिक साफ-सफाई, कपड़े धोने तथा घर की साफ-सफाई के लिए स्वच्छ जल की प्रति व्यक्ति आवश्यकता 30-50 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन होती है। जेजेएम के तहत, न्यूनतम जल उपलब्धता को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन नियत किया गया है तथा राज्य इसे उच्चतर स्तर पर बढ़ा सकते हैं।

अनुलग्नक

दिनांक 06.02.2020 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 901 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

दिनांक 04.02.2020 की स्थिति के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय आवंटन तथा जारी राशि का राज्य-वार विवरण

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	आवंटन	जारी की गई राशि
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1.78	0.5
2.	आंध्र प्रदेश	372.64	151.73
3.	अरुणाचल प्रदेश	132.55	132.55
4.	असम	794.95	339.33
5.	बिहार	887.31	326.25
6.	छत्तीसगढ़	208.04	65.82
7.	गोवा	7.57	3.08
8.	गुजरात	390.31	390.31
9.	हरियाणा	149.95	149.95
10.	हिमाचल प्रदेश	148.67	148.67
11.	जम्मू एवं कश्मीर	322.03	131.12
12.	झारखंड	367.69	128.26
13.	कर्नाटक	546.06	546.06
14.	केरल	248.76	101.29
15.	लद्दाख	166.65	67.86#
16.	मध्य प्रदेश	571.6	571.6
17.	महाराष्ट्र	847.97	345.28
18.	मणिपुर	67.69	28.2
19.	मेघालय	86.02	35.84
20.	मिजोरम	39.87	39.87
21.	नागालैंड	56.49	23.54
22.	ओडिशा	364.74	148.51
23.	पुडुचेरी	2.5	0
24.	पंजाब	227.46	92.62
25.	राजस्थान	1,051.71	678.24*
26.	सिक्किम	15.41	15.41
27.	तमिलनाडु	373.87	151.45
28.	तेलंगाना	259.14	105.52
29.	त्रिपुरा	107.64	44.86
30.	उत्तर प्रदेश	1,606.28	1,476.61
31.	उत्तराखंड	170.53	69.43
32.	पश्चिम बंगाल	995.33	404.69
कुल			**6,914.45**

#दो भागों में विभाजित किए जाने के बाद, इस धनराशि को जम्मू व कश्मीर द्वारा लद्दाख को अंतरित कर दिया गया है

*इसमें एनडब्ल्यूक्यूएसएम शामिल हैं